UPBJ120023732026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चांदपुर, बिजनौर
सरकार बनाम अजरूद्दीन आदि
जमानत प्रार्थना पत्र– 502/2026
मु.अ.सं.–18/2024
धारा–85,115(2),352,351(3)बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी. एक्ट
थाना– महिला थाना चाँदपुर, जनपद बिजनौर।
14.07.2026

प्रार्थी **अजरूद्दीन पुत्र फराउद्दीन** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु.अ.सं.–18/2024 अन्तर्गत धारा **85,115(2),352,351(3)बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी. एक्ट** थाना **महिला थाना चाँदपुर**, जिला बिजनौर में आत्मसमर्पण कर जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी वादिनी मुकदमा का पति है। वादिनी मुकदमा द्वारा विरूद्ध प्रार्थी झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी द्वारा कभी भी वादिनी मुकदमा से दहेज की माग नहीं की गयी है, न ही दहेज के लिए वादिनी मुकदमा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया है। तथाकथित घटना झूठी एवं सरासर निराधार है। प्रार्थी उपरोक्त अपराध में दौरान विचारण अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित।

वादिनी मुकदमा, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्तागण तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति की गयी। सहअभियुक्तगण की पूर्व में जमानत हो चुकी है। अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है वह मजिस्ट्रेट विचारणीय है तथा सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले पर गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्त **अजरूद्दीन पुत्र फराउद्दीन** मु.अ.सं.– 18/2024 अन्तर्गत धारा **85,115(2),352,351(3)बी.एन.एस. व 3/4 डी.पी. एक्ट** थाना **महिला थाना चाँदपुर**, जनपद बिजनौर द्वारा 25,000–/–रूपये की एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाते हैं।

अरूण कुमार राणा
न्यायिक मजिस्ट्रेट,चांदपुर
बिजनौर
J.O.CODE–UP3660

Digitally signed by ARUN KUMAR RANA
Date: 2026.07.14 16:24:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court